न्यायालय रामायण राम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय,
—सह— विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./एम.एल.सी., सीवान

सत्र वाद सं0— 352/2018

29.08.2022 सभी पॉच अभियुक्तों की ओर से हाजिरी दी गयी। आवेदक जयप्रकाश सिंह एवं तेज बहादुर सिंह की ओर से दाखिल उन्मुक्त आवेदन दिनांक 18.09.2019 पर दोनों पक्षों को आज हीं सुना गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा इन्होने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को दुश्मनी के कारण षडयंत्र के तरह इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है तथा इनके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्तो के विरूद्ध आरोपित सभी आरोप झूठा, बनावटी, काल्पनिक एवं आधारहीन है। पुलिस द्वारा पैरवी के कारण जानबूझकर इन्हें झूठा फंसाया गया है। अतः उक्त के आलोक में आवेदकगण को इस मामले से उन्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया गया कि का तर्क है कि यद्यपि आवेदकगण अप्राथमिकी अभियुक्त है तथा पुलिस अनुसंधान के दौरान चंद्रिका यादव के दोषस्वीकरोक्ति बयान तथा कंडिका 112, 142, 143 में भी साक्षियों ने आवेदकों की इस मामले में संलिप्तता का साक्ष्य दिया है। इस तरह कांड दैनिकी में आवेदक के विरुद्ध मामले में धारा 302, 307/34, 120बी भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य एवं सामाग्री उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में दाखिल आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

उक्त बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक प्रभुनाथ सिंह के लिखित आवेदन पर दरौंदा थाना कांड सं. 122/2016 अंतर्गत धारा 302, 307/34, 120बी भा.दं.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अनुज सिह, अनुप सिंह एवं अनिल सिंह एवं तीन अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधानोपरान्त आवेदकों के विरुद्ध धारा 302, 307/34, 120बी भा.दं.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। सूचक प्रभुनाथ सिंह का मुख्य रुप से आरोप है कि दिनांक 13.08.2016 को समय करीब 08.00 बजे अपने पुत्र पुष्पकांत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के साथ अपने घर के छत पर थे और बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे उसी समय सूचक के घर का नौकर सुदामा हम दोनों के लिए चाय लेकर आया हमदोनों बाप बेटा बैठ कर चाय पी रहे थे कि उसी समय मेरे घर के पीछे से दो व्यक्ति सूचक के छत पर चढ़कर दोनो बाप, बेटा के पास आ गये और आते ही अपने—अपने हाथ में लिये

<u>न्यायालय रामायण राम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय,</u>
<u>–सह– विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./एम.एल.सी., सीवान</u>

<u>सत्र वाद सं0– 352/2018</u>

<u>लगातार</u>

<u>29.08.2022</u> देशी कट्टा तान दिये वहॉ पर चार्जेबुल टेबुल लैम्प चल रहा था जिसके रोशनी में देखे कि अनुज सिंह एवं अनुप सिंह है। दोनो को देखते ही सूचक बोला कि क्या है बाबु हम अभी पूछ ही रहे थे कि उसी पर अनुप सिंह मेरे पुत्र पुष्पकांत उर्फ मुन्ना सिंह के उपर पीट पर गोली मार दिया। अपने पुत्र को गोली लगते हीं सूचक वहॉ से भागने लगा तथा बाहर आकर हल्ला करने लगे तो देखा कि घर के पश्चिम तरफ तीन अज्ञात व्यक्ति हथियार लेकर खड़े थे। विवाद का कारण सूचक के बेटा द्वारा एक केस में अनिल सिंह के विरूद्ध गवाही दिया जाना है। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में सूचक के बेटे की मृत्यु हो गयी। अभिलेख पर मौजूद कांड दैनिकी की कंडिका 06 में वादी ने तथा कंडिका 07, 08, 09, 10, 29 में साक्षियों ने भी अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। कंडिका 123 में अभियुक्त चंद्रिका यादव ने अपने दोषस्वीकरोति बयान एवं कंडिका 112, 113 एवं 143 में स्वतंत्र साक्षियों ने घटना के दिन आवेदक अभियुक्तों का घटनास्थल पर मौजूद होने के बात का समर्थन किया है। कंडिका 75 में मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Shock due to rupture of right vertical of heart by Bullet से होना बताया गया है। इस तरह कांड दैनिकी की उपरोक्त कंडिकाओं में आये साक्ष्य एवं सामग्री के आलोक में आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त आधार एवं सामग्री पाया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल उन्मुक्त आवेदन में कोई बल नही पाते हुए इसे अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 23.09.2022 वास्ते आरोप गठन हेतु अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, सिवान